सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 23, गुरूवार, *शाके* 1945-अप्रेल 13, 2023
Chaitra 23, Thursday , Saka 1945- April 13, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 31, 2023

संख्या प.4(22) कृषि/ग्रुप-2/2022 :-जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी की गई अधिसूचना क्रमांक प.4(22) कृषि/ग्रुप-2/2022 जयपुर, दिनांक 13.10.2022 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति नगर के मण्डी क्षेत्र मे से पंचायत समिति नगर की 21 ग्राम पंचायते क्रमशः सीकरी, उडकीदल्ला, ककराला, नागल, जयश्री, पुनाय, गुलपाडा, डाबक, बेला, झंझार, सिहावली, पालका, रायपुर, सुकेती, पडलवास, जलालपुर, खोहरी बास डायना, बासबुर्जा, तेस्की, खेस्ती, बेरू, आलमशाह एवं नवीन घोषित नगर पालिका सीकरी के सम्पूर्ण क्षेत्र को पृथक कर एक नयी कृषि उपज मण्डी समिति, सीकरी के नाम से स्थापित किये जाने के आशय की घोषणा की गई थी।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, नगर के घोषित क्षेत्र में से पंचायत समिति नगर की 21 ग्राम पंचायते क्रमशः सीकरी, उडकीदल्ला, ककराला, नागल, जयश्री, पुनाय, गुलपाडा, डाबक, बेला, झंझार, सिहावली, पालका, रायपुर, सुकेती, पडलवास, जलालपुर, खोहरी बास डायना, बासबुर्जा, तेस्की, खेस्ती, बेरू, आलमशाह एवं नवीन घोषित नगर पालिका सीकरी के सम्पूर्ण क्षेत्र को पृथक करने की घोषणा करती है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 4(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार घोषणा करती है कि राजस्थान राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध में पंचायत समिति नगर की 21 ग्राम पंचायते क्रमशः सीकरी, उडकीदल्ला, ककराला, नागल, जयश्री, पुनाय, गुलपाडा, डाबक, बेला, झंझार, सिहावली, पालका, रायपुर, सुकेती, पडलवास, जलालपुर, खोहरी बास डायना, बासबुर्जा, तेस्की, खेस्ती, बेरू, आलमशाह एवं नवीन घोषित नगर पालिका सीकरी का सम्पूर्ण क्षेत्र कृषि उपज मण्डी समिति, सीकरी का मण्डी क्षेत्र होगा।

अधिनियम की धारा 6 व 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के प्रयोग के लिए अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, सीकरी का नियमन करती है तथा इस कृषि उपज मण्डी समिति को "द" श्रेणी में वर्गीकृत करती है।

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से कृषि उपज मण्डी समिति, सीकरी को प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण राजस्व मण्डी समिति, सीकरी के प्रथम बोर्ड के गठन होने तक कृषि उपज मण्डी समिति, नगर में पूर्ववत् जमा होगा तथा मण्डी समिति सीकरी के प्रथम बोर्ड गठन होने के पश्चात उक्त जमा राशि मण्डी समिति, नगर द्वारा मण्डी समिति सीकरी को स्थानान्तरित की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।